सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-153/2021 दिनांक- 25-मार्च-2021

<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u> <u>थाना- जीयनपुर</u> <u>हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित / वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 25.03.2021 को प्रभारी निरीक्षक हिमेन्द्र सिंह मय राह उ0िन0 चन्द्रशेखर यादव, का0 अंकुर सिंह, का0 अंजनी पाण्डेय, का0 शैलेन्द्र, म0आ0 प्रिती सिंह, म0आ0 साधना तोमर क्षेत्र में मामूर थे कि जिरये मुखिबर खास सूचना मिली कि मु0आ0सं0 94/21 धारा 302 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त केलास चौरिसया पुत्र स्व0 रामचन्दर चौरिसया निवासी मुहल्ला आदर्श नगर (बरई टोला) कस्बा व थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को चुनुगपार तिराहे पर खड़ा है और कही भागने की फिराक में है इस सूचना पर विश्वास करके प्रभारी निरीक्षक व उ0िन0 मय मुखिबर के अजमतगढ़ तिराहे से प्रस्थान कर चुनुगपार तिराहे से थोड़ा पहले पहुँचकर गाड़ी को खड़ा किया जहाँ पर मुखिबर खास द्वारा इशारे से तिराहे के पास स्थित गुमटी के पीछे खड़े व्यक्ति को दिखाकर की यही वह अभियुक्त कैलाश है हटबढ़ गया कि पुलिस टीम द्वारा एक बारगी घेरकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम कैलाश चौरिसया पुत्र स्व0 रामचन्दर चौरिसया निवासी मुहल्ला आदर्श नगर (बरई टोला) कस्बा व थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 56 वर्ष बताया जिस कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 21.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- कैलास चौरसिया पुत्र स्व0 रामचन्दर चौरसिया निवासी मुहल्ला आदर्श नगर (बरई टोला) कस्बा व थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

<u>पंजीकृत अभियोग</u>-

1- मु0अ0सं0 94/21 धारा 302 IPC थाना जीयनपुर आजमगढ़

<u>बरामदगी</u>-

1- हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद फावड़ा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1. प्रभारी निरीक्षक हिमेन्द्र सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
- 2. उ0नि0 चन्द्रशेखर यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
- 3. का० का० अंकुर सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
- 4. का० अंजनी पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
- 5. का० शैलेन्द्र थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
- 6. म0का0 साधना तोमर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
- 7. म0का0 प्रीति सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थानाबरदह -

अवैध अपमिश्रित शराब व बनाने के उपकरण के साथ एक अभियुक्ता गिरफ्तार

आज दिनांक 26.03. को प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मय 2021हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास ने सूचना दिया कि ग्राम देवापुर में बाँकेलाल वनवासी पुत्र वुधई वनवासी अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर भट्टी लगाकर मिलावटी शराब बना रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मय हमराह फोर्स आबकारी टीम व मुखबिर को साथ मुखबिर द्वारा बताए रास्ते से आगे बढ़ते हु ए देवापुर आये। एक मकान के पास मुखबिर ने गाड़ी रूकवाई और अगले मकान की तरफ इशारा करके यह बात कहता हुआ चला गया कि इसी मकान में मिलावटी शराब बन रही है। तब पुलिस टीम द्वारा दिबश दी गई तो एक मड़ई से एक व्यक्ति निकल कर भाग गया। । मढ़ई में एक औरत छुपती हुई दिखाई दी जिसे महि 06 पुलिस द्वारा समय 0. बजे हिरासत में 25लिया गया। मढ़ई में मिलावटी शराब बनाने की भट्टी तैयार है मौके पर करीब विटर अपमिश्रित शराब एक प्लाप्टिक की सफेद केन में है। गुड़ 20 0ग्रा 0िक 10 करीब, यूरिया करीब डेढ़ कि0ग्रा0, नौशादर करीब ग्राम 500, एक टीन का कनस्तर, सफेद पाइप, कीप, एल्मुनियम का पतीला, बरामद हुए। मौके पर करीब ग्राम लहन नष्ट किया गया। बरामद माल को कब्जा पुलिस में लेकर मौके पर पकड़ी गई 0िक 225 महिला का नाम पता पूछा तो इसने अपना नाम शारदा वनवासी पत्नी बाँकेलाल वनवासी नि ग्राम देवापुर थाना बरदह जिला 0 आजमगढ़ तथा भागे हुए व्यक्ति का नाम अपना पति बांकेलाल वनवासी पुत्र बुधई वनवासी नि 0 ग्राम देवापुर थाना बरदह जि 0 शराब की केन का ढक्कन खोलकर खुद सूंघा तथा आबकारी टीम को सुंघाया तो शराब 0ली 20 आजमगढ़ बताया। बरामद करीब की गन्ध आ रही है। आबकारी निरीक्षक ने बताया किजो सामग्री बरामद हुई है उससे अपमिश्रित शराब बनाई जाती है जिससे जान को खतरा भी हो सकता है। उक्त व्यक्ति 60 तथा धारा 0वि०द०भा २७७ महिला के विरूद्ध धारा/(क का अपराध ० आबकारी अधि (बनता है। गिरफ्तार अभियुक्ता का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1- शारदा वनवासी पत्नी बाँकेलाल वनवासी निग्राम देवापुर थाना बरदह जिला आजमगढ़ 0

बरामदगी-

- 1-20 लीटर अपमिश्रित शराब, 500 ग्राम नौशादर, डेढ़ किलो यूरिया,
- 2- 10 किलो गुड़ वअपमिश्रित शराब बनाने के उपकरण

पंजीकृत अभियोग-

1- मु66 0सं0अ0/60 भादवी व 272 धारा 21(कआबकारी अधिनियम (थाना-बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मय राह उशमशाद अली 0निरी 0, काकृष्णचन्द्र 0, कारवि यादव 0,
- 2- महिकविता महरोत्रा 0का0, महिमीना द्विवेदी 0का 0, चालक संतोष कुमार सिंह **थाना बरदह जनपद आजमगढ**

थाना मुबारकपुर बहुचर्चित तिहरे ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री के अभियुक्त को फासी की सजा

दिनांक 24/25.11.2019 को रात्रि में हुए तिहरे हत्याकांड जैसा संगीन अपराध थाना मुबारकपुर अन्तर्गत ग्राम इब्राहिमपुर भरौलिया में घटित हुआ जिसमें तीन लोगो की मौक पर ही मृत्यु हो गयी जिसमें 4 माह का बच्चा भी सम्मलित था जब की दो बच्चे गम्भीर रूप से घायल हो गये थे उक्त घटना के खुलासे हेतु **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़** द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा उक्त सनसनीखेज हत्या का सफल अनावरण किया गया। विवेचना से FIR में नामित अभियुक्त इम्तेयाज नट की नामजदगी गलत पायी गयी तथा अनावरण सें घटना कारित करने वाला अभियुक्त नजीरूद्दीन उर्फ (अउवा पउवा) पुत्र अब्दुल अजीज अंसारी निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया विवेचना के क्रम में भौतिक साक्ष्य एवम् वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किये गये फ्रिगर प्रिन्ट मिलान एवम् DNA कराया गया जिससे फारेन्सिक रिपोर्ट से DNA एवम् फ्रिगर प्रिन्ट का मिलान हुआ । घटना एक सप्ताह में अनावरण करते हुए मात्र एक सप्ताह के अन्दर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित करते हुए चार्ज बनवाकर 12 दिवस के अन्दर अभियोन पक्ष के सभी गवाहो के गवाही न्यायालय में कराई गई फ्रिंगर प्रिन्ट एवम् DNA परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ निरन्तर पैरवी करते हुए परीक्षण परिणाम मगवाकर न्यायालय दाखिल कराया गया प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर द्वारा सघन पैरवी उपरोक्त मुकदमे में की गयी फलस्वरूप आज दिनांक – 26.03.2021 को अभियुक्त नजीरूद्दीन उर्फ (अउवा पउवा) पुत्र अब्दुल अजीजअंसारी निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को मा0 न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराते हुए फासी की सजा से दिण्डत किया गया है।

<u>थाना कोतवाली</u> <u>अवैध देशी शराब के साथ एक गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण अपराधियों की , आगामी ग्राम प्रधानी के चुनाव के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी नगर,गिरफ्तारी राजेश कुमार तिवारी के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कृष्ण कुमार 0डा गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग अपराधीयों की धड़ पकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर हाफिजपुर चौराहे पर / अलग टीम गठित कर अपराध— वाहनों की चेकिंग की जा रही थी जिसके क्रम में / संन्दिग्ध व्यक्ति

उरवि प्रताप तिवारी 0 अनिल कुमार मिश्रा मय कां 0नि0 कां विन्देश गौड़ के साथ देखभाल क्षेत्र शान्ति व्यवस्था 0 व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगण अवैध शराब के निर्माण व विक्रय के रोकथाम, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति , व वस्तु में हाफिजपुर चौराहे पर मौजूद थे कि वहीं पर प्रभारी चौकी एलवल उ संजय तिवारी मय राह का ०नि०ं वरूण कुमार व ० पवन यादव के साथ गस्त करते हुए हाफिजपुर चौराहे पर ही 0 विनय कुमार दुबे मय राह कां 0नि0 प्रभारी चौकी पहाड़पुर उ आ गये, सभी पुलिस वाले वर्तमान समय में चल रहे पंचायत ग्राम प्रधानी के चुनाव के सम्बन्ध में हो रहे अवैध शराब का निर्माण व विक्री के सम्बन्ध में वार्ता कर ही रहे थे कि मुखबिर खास आकर बताया कि एक व्यक्ति राम प्रवेश यादव नाम का जो बद्दोपुर का रहने वाला है , इस समय चल रहे ग्राम प्रधानी की चुनाव में अवैध तरीके से काफी मात्रा में काफी नशीली जिसमें नौसापर, यूरिया और जाने क्या क्या मिलाकर बना रहा है, और उसको प्रतिदिन एक स्कूटी में रखकर और कुछ पेटी बाँध कर एक ही में मिला जुलाकर प्रायः अपने आस पास के गाँवों में निकल जाता है। पूरी जानकारी किया हुँ। आज भी वह इसी तरह से स्कूटी में बीच में एक जरिकैन में और स्कूटी के सीट पर पीछे पेटी में बाँधकर बद्दोपुर गाँव ले जाँकर बेचने की पक्की खबर है। इस बात पर यकीन करके पुलिस टीम मुखबिर खास के लेकर उसके बताये गये स्थान पर प्रस्थान कर दिये कि जैसे ही पगरा मोड़ के कुछ दुर पहले पुलिस टीम पहुँची थी कि साथ मुखबिर खास ने सामने आ रहे वाहन की जलती हुई हेडलाइट को शराब वाली गाड़ी समझकर पुलिस टीम को बताया कि यह वह गाड़ी है जिसपर रामप्रवेश ही लेकर आ रहा है। इतना बताकर मुखबिर खास वापस चला गया कि पुलिस टीम सामने आ रही गाड़ी को सबलोगों नें टार्च की रोशनी दिखाकर रोकने का प्रयास किया कि आ रही गाड़ी पुलिस टीम की टार्च की रोशनी देखकर वहीं से पीछे मुड़कर भागना चाहा कि उक्त

व्यक्ति जबतक गाड़ी मोड़ पाता तब तक पुलिस टीम उक्त व्यक्ति को घेरकर पकड़ लिये कि पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम रामप्रवेश यादव पुत्र स्व सोनई यादव 0उम्र करीब वर्ष निवासी ग्राम बद्दोपुर थाना कोतवाली 20 जनपद आजमगढ़ बताया। जामातलाशी से स्कूटी के पायदान पर बीच में एक जरीकैन सफेद रंग प्लास्टिक में भरी हुई द्रव्य पदार्थ जिको खोलकर सुँघा गया तो शराब जैसी तेज गंध आ रही है कि स्कूटी पर पीछे सीट पर बंधे हुए बोर ी को खोला गया तो दो पेटी देशी शराब की पायी गयी। दोनों पेटियों को खोला गया तो एक एक पेटी में 45- 200 शीशी 45ML की पायी गई इस प्रकार दोनों पेटियों की कुल मिलाकर 200X लीटर की मात्रा बरामद हुआ। बरामदशुदा पेटियों में से एक 18 कुल 90 शीशी निकालकर जिसके उपर लगेहुए रैपर को देखा गया तो कोने में पेट बोतल लगभग 4. मानक पेय बन्टी लाल से 0 केवल देशी मदिरा दुकानों हेतु तीव्रता 50 अधिकतम विक्रय फूटकर मूल्य रूपये (सादा) ववली हरा से लाइम देशी शराब तनु 25% VV मात्रा 200ML वैधानिक चेतावनी मदिरा का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शीशी वाकायदे सील है जिसपर मार्का रैपर लगा हुआ है। अभियुक्त रामप्रवेश यादव पुत्र स्व सोनई यादव 0उम्र करीब वर्ष निवासी ग्राम बद्दोपुर 20 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तारकर थाना स्थानीय पर मु 0सं0अ0– 88/– धारा 202160 आबकारी अधिनियमभा 272 व धारा ,दिव पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रामप्रवेश यादव पुत्र स्व सोनई यादव निवासी ग्राम बद्दोपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़। 0

बरामदगी का विवरण-

- 1. लीटर अपमिश्रीत देशी कच्ची 10 जरिकैन में 01
- 2.) शीशी 90 पेटी में कुल 2200 ml) कुल 0 लीटर देशी नजायज शराब व एक अदद स्कूटी नं 18UP50BR8531

पंजीकृत अभियोग—

1. मु ०सं०अ०– ८८/– धारा २०२१६० आबकारी अधिनियमभादवि २७२ व धारा ,

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण-

- 1. उ अनिल कुमार मिश्रा प्रभारी चौकी0नि0बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़।
- 2. उविनय कुमार दुबे प्रभारी चौकी पहाड़पुर थाना कोतवाली आजमगढ़। 0नि0
- 3. उसंजय तिवारी चौकी प्रभारी एलवल थाना कोतवाली आजमगढ़। 0नि0
- 4. कारवि प्रताप तिवारी थाना कोतवाली आजमगढ़। 0
- 5. कांविन्देश गौड़ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़। 0
- 6. कांपवन यादव था 0ना कोतवाली आजमगढ़।
- 7. कां वरूण कुमार थाना कोतवाली आजमगढ़। 0

थाना तरवाँ

अवैध एक अदद पिस्टल .32 बोर व अदद जिंदा कारतूस 02 के साथ अभियुक्त गिरफ्तार 01

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की,गिरफ्तारी तथा आगामी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा श्रेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना तरवां के कुशल नेतृत्व में उ अखिलेश कुमार चौबे मय 0नि0हमराह आरक्षी रजनीश यादव के देखभाल क्षेत्र त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होलिका ड्यूटी आदि में करबा रासेपुर में मौजूद थे कि मुखबीर ने आकर सूचना दिया कि एक संदिग्ध व्यक्ति टोडरपुर मोड रासेपुर के पास खड़ा है इस सूचना पर गौर (मछली मण्डी) करते हुये हमराही कर्मचारी क ो मकसद बताकर अपने साधन से मुखबीर को साथ लेकर बताये स्थान पर पहुंचे तो देखा कि टोडरपुर मोड के पास एक व्यक्ति खड़ा है के पास पहुचे तो पुलिस टीम को देखकर हडबड़ा कर भागना चाहा कि मौके पर ही घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये भागने का कारण पूछने पर उसने अपना नाम अंकज सिंह पुत्र श्री राम जी सिंह ग्राम बसारिक पुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब वर्ष बताया तथा भागने का कारण खुद के पास अवैध पिस्टल होना बताया पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो एक अदद पिस्टल 37 .32 बोर अदद जिंद 02,ा कारतूस बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति से उक्त पिस्टल रखने का अधिकार पत्र मागने पर दिखाने से कासिर रहा। बरामद शुदा शस्त्र 3 कारतूस कोबाजाफ्ता कब्जा पुलिस तथा अभियुक्त को यह कर्म जुर्म धारा// 25A ACT का अपराध पाये जाने पर कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 11.40 बजे रात्रि हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु .स.अ.43/2021 धारा 3/ 25A. ACT पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

<u>पंजीकृत अभियोग</u>-

मु .स.अ.43/2021 धारा 3/ 25A. ACT थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>–

1. अंकज सिंह पुत्र श्री राम जी सिंह ग्राम बसारिक पुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

<u>बरामदगी –</u>

अवैध एक अदद पिस्टल .32 बोर व अदद जिंदा कारतूस 02

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ ०व का (चौकी इन्चार्ज रासेपुर थाना तरवां) अखिलेश कुमार चौबे ०नि०रजनीश यादव

थाना दीदारंगज

एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

आज दि0 26/3/21 को थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह मय हमराह के थाना से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि उ0िन0 अमरनाथ यादव मय हमराह के पत्थी बाजार में मिले हमराह लेकर मु0अ0सं0 48/21 धारा 376 ,120बी,504,506 भादिव से सम्बन्धित अभियुक्त विपिन यादव पुत्र रमेश यादव ग्राम धौरहरा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ में पतारसी सुरागरसी कर रहे थे कि तभी मुखबीर खास ने आखर सूचना दिया कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 विपिन यादव पुत्र रमेश यादव अमरेथु तिराहे पर भेड़िया में मौजूद है जो कही जाने के फिराक में है और सवारी का इन्तजार कर रहा है। मुखबीर की इस सूचना पर विश्वास कर थानाध्यक्ष / विवेचक मय मुखबीर खास व हमराह कर्मचारीगण व सरकारी वाहन चालक के क्षेत्र से प्रस्थान कर वाहन को दूर खडी कर अपने तथा हमराहियों के उपस्थिती को छुपते छुपाते भेड़िया तिराहे पर खडे हुये व्यक्ति के पास में आये मुखबीर इशारा कर हट बढ़ गया एकबारगी दिबश देकर तिराहे पर खडे एक नवयुवक को पकड़ लिया गया , नाम पता पूछने पर अपना नाम विपिन यादव पुत्र रमेश यादव ग्राम धौरहरा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष बताया जो मुकदमा उपरोक्त का वाँछित अभियुक्त है कारण गिरफ्तारी बताते हुये अभियुक्त विपिन यादव उपरोक्त को समय 05.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

<u>पंजीकृत अभियोगः</u>-

मु0अ0स0 48/2021 धारा 376,120बी,504,506 भा0द0वि0थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तः-

विपिन यादव पुत्र रमेश यादव ग्राम धौरहरा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

- 1-थानाध्यक्ष संजय कुमार सिह
- 2. उ0नि0 अमरनाथ यादव
- 3. का0 सुनील कुमार प्रजापति
- 4. का0 आशीष यादव
- 5. का० सोनू गुप्ता
- 6.म0का0 अनामिका सिंह

<u>थाना जहानागंज</u> एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 15.03.2021 को वादी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिये कि अफरोज पुत्र निजामुद्दीन निवासी कनैला थाना जहानागंज आजमगढ द्वारा भेरी लङकी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय मु0अ0स0 52/2021 धारा 363/366 भादवि अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह के आदेश अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में आज दिनांक 26.03.2021 को उ0िन0 मनीष उपाध्याय मय राह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अफरोज पुत्र निजामुद्दीन निवासी कनैला थाना जहानागंज आजमगढ को - भुजही तिराहा से समय करीब 6.55 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 37 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।